

निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण  
प्रकरण संख्या 05/2024 (धारा 14 सेक्योरिटाईजेशन)  
आधार हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, 5<sup>th</sup> फ्लोर, सांघी उपासना टावर, सी-88, सुगाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

श्री अनिल कुमार,

पता - प्लॉट नं. जी-4 एच-24, मंगलम सिटी, पीथावास, हाथोज भाया जी की थड़ी, ए ब्लॉक डब्लू,  
गोविन्दपुरा करघनी स्कीम, जे ए ब्लॉक डब्लू गोविन्दपुरा करघनी स्कीम, झोटवाड़ा, जयपुर।  
एवं प्लेट नं. एफ-02, प्रथम तल, शुभम रेजीडेन्सी, मंगलम सिटी, कालवाड़ रोड़, एच-24, हाथोज  
पीथावास, कालवाड़ रोड़, जयपुर।

श्रीमती प्रियंका देवी,

पता - प्लॉट नं. जी-4 एच-24, मंगलम सिटी, पीथावास, हाथोज भाया जी की थड़ी, ए ब्लॉक डब्लू,  
गोविन्दपुरा करघनी स्कीम, जे ए ब्लॉक डब्लू गोविन्दपुरा करघनी स्कीम, झोटवाड़ा, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर



The application under section 14 of The Securitisation and  
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of  
Security Interest Act, 2002.

पस्थित:- श्रीमती विमला चंदिरा, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश

दिनांक: 30.01.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 16.12.2021 को पुनर्मुर्तान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका देवी के स्वामित्व की संपत्ति प्लेट नं. एफ-02, प्रथम तल, शुभम रेजीडेन्सी, मंगलम सिटी विस्तार, ग्राम निवारू कालवाड़ रोड़, एच-24, हाथोज पीथावास, कालवाड़ रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 720 वर्गफीट को बन्धक रख कर कुल राशि 10,02,247/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 13.09.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

जिला मजिस्ट्रेट  
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)



पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 10,02,247/-रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास बन्धक रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 09,82,633/-रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 13.09.2023 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का प्रार्थी वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

अतः The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती प्रियंका देवी के स्वामित्व की बंधक संपत्ति फ्लेट नं. एफ-02, प्रथम तल, शुभम रेजीडेन्सी, मंगलम सिटी विस्तार, ग्राम निवारू कालवाड़ रोड़, एच-24, हाथोज पीथावास, कालवाड़ रोड़, जयपुर, क्षेत्रफल 720 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 30.01.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।



(प्रकाश राजपुरोहित)  
जिला मजिस्ट्रेट  
(फ्लेट) बयपुर (ग्रामीण)